

21-1-17

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।
आरोपी अविनास 17-9-16 आरोपी सोनू 4-8-15 ,राजू दिनांक 20-7-17 को अपराध स्वीकार कर दोषमुक्त किया गया है।
प्रकरण आरोपी **संतोष एवं वीरेन्द्र** की उपस्थिति हेतु नियत है।
प्रकरण में आरोपी को जारी गिरफ्तारी बारंट अदम तामील प्राप्त हो रहे हैं आरोपी को दिनांक **29-12-14** से लगातार गिरफ्तारी बारंट जारी किये जा रहे हैं गिरफ्तारी बारंट की तामिली का निर्वहन सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी अपने आप को छिपाये हुये हैं तामील को प्राप्त नहीं करना चाहता है। बार बार आरोपी को गिरफ्तारी बारंट जारी किये जाने से न्यायालय कास अमूल्य समय नष्ट हो रहा है ऐसे में आरोपी को **धारा 299 द०प्र०स०** के तहत फरार घोषित करते हुये उसे जरिये स्थाई गिरफ्तारी बारंट जारी किया जावे ।
प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर टीप अंकित की जावे कि आरोपी फरार है
प्रकरण सुरक्षित रखा जावे ।
प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सही/-

जे०एम०एफ०सी०